

डी. पी. सिंह
परीक्षा नियन्त्रक



उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज- 211021
मोबाइल - 7525048009

पत्रांक : ओ. यू./परीक्षा/ 621/2022

दिनांक : 18/12/2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/समन्वयक

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सम्बद्ध

विशय :- सत्रान्त परीक्षा दिसम्बर - 2022 के परीक्षा केन्द्र हेतु आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षा जनवरी - 2023 के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है। यदि आप राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सुचिता पूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण के लिए निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध हों, विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्र बनाने के लिए निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हो तथा कोविड-19 जनित वैश्विक समस्या के दृष्टिगत भारत सरकार/उ० प्र० राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत गाइड लाइन के अनुसरण हेतु दृढ़ संकल्पित हों और विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में दिये जाने वाले निर्देशों के अनुपालन की सद् इच्छा रखते हो तो आप अपना आवेदन पत्र संलग्न शपथ पत्र व सूचना प्रपत्र के साथ दिनांक 05/01/2023 तक अधोहस्ताक्षरी के ई-मेल coeuprtou123@gmail.com पर अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित करने का कष्ट करें। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

संलग्नक :-

1. शासनादेश संख्या-9/2018/1036/सत्तर-1-2018-16(9)/2018
2. विश्वविद्यालय मानक।
3. शपथ-पत्र का प्रारूप।
4. सूचना प्रपत्र।

भवदीय


परीक्षा नियन्त्रक

शपथ—पत्र
(नोटरी द्वारा सत्यापित)

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

प्रयागराज

मैं (शपथ कर्त्ता का नाम)..... पदनाम.....
संस्थान का नाम..... केन्द्र कोड.....
विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षा Dec-2022 हेतु अपने संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाने का इच्छुक हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय के मानक से भली भाँति अवगत हूँ तथा हमारा संस्थान उन मानकों को पूर्ण करता है।
2. सुचिता पूर्ण परीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों से भिन्न हूँ। उनका पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।
3. कोविड-19 के दृष्टिगत समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रतिबद्ध हूँ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षा के साथ यदि अन्य राज्य विश्वविद्यालयों की सत्रान्त परीक्षा आयोजित होती है तो साथ में विश्वविद्यालय की परीक्षा का सम्पादन भी कराया जायेगा।
6. परीक्षा केन्द्र हेतु मेरा संस्थान वर्तमान में किसी संस्थान द्वारा काली सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
7. उक्त शपथ-पत्र में 1 से 6 मेरी निजी ज्ञान व विश्वास में पूर्णतः सही है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा की गयी नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।

स्थान.....

हस्ताक्षर

दिनांक.....

शपथकर्त्ता

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

परीक्षा केन्द्र निर्धारण विषयक

सूचना प्रपत्र

- 1 केन्द्र का नाम
- 2 केन्द्र कोड
- 3 समन्वयक/केन्द्राध्यक्ष का नाम
व दूरभाष संख्या
- 4 प्रधानाचार्य का नाम व दूरभाष
संख्या
- 5 ई-मेल
- 6 ई-मेल (गोपन कार्य प्रयोग हेतु
यदि उपरोक्त अलग हो तो)
- 7 विगत तीन वर्षों में पंजीकृत
शिक्षार्थियों की संख्या (सत्रवार)
- 8 अवस्थापन व्यवस्था

परीक्षा हेतु उपलब्ध कक्षाओं की
संख्या
कक्षाओं का क्षेत्रफल (पृथक-पृथक)
- सीसीटीवी व्यवस्था
हॉ/नहीं
- कोविड-19 प्रोटोकाल पालन की
व्यवस्था
हॉ/नहीं
- 9 क्या पूर्व में आपका अध्ययन
केन्द्र परीक्षा केन्द्र बनाया गया
था।
यदि हाँ तो i कब
ii क्या उत्तर पुस्तिकाओं का प्रेषण समय से किया गया था।
हॉ/नहीं
iii क्या उपस्थिति प्रपत्र (P-7) का प्रेषण ससमय किया गया था।
हॉ/नहीं
iv परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय के अन्य निर्देशों का अनुपालन किया गया
था।
हॉ/नहीं
- 10 क्या आपका केन्द्र किसी विश्वविद्यालय से परीक्षा हेतु कभी डीबार किया गया है।
हॉ/नहीं
- 11 आपके केन्द्र के समीपस्थ
अध्ययन केन्द्रों का विवरण

उक्त सूचना प्रपत्र में 1 से 11 मेरी निजी ज्ञान व विश्वास में पूर्णतः सही है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा की गयी नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी।

स्थान.....

हस्ताक्षर

दिनांक.....

प्रचार्य/समन्वयक/केन्द्राध्यक्ष

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हों।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेंगे।
3. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वयं की कम से कम छात्र संख्या 60 हो व 3 वर्ष से अध्ययन केन्द्र चल रहा हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहाँ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशेष ध्यान रखा जाय।
5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिये कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 4 को ध्यान में रखते हुये अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
7. बड़े, शहरों में एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।
8. विशेष परिस्थिति में मा० कुलपति जी अपने विशेषाधिकार से परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति दे सकते हैं (संलग्नक-04 पृष्ठ संख्या-26)।

2


28/11/18

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:-

- (i) परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutory body) से अनुमोदन कराया जाय।
- (ii) परीक्षा केन्द्र उन्हीं केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय।
- (iii) परीक्षा समय सारणी (Time Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो।
- (iv) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक दो दिन के लिये अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय।

प्रेषक,

डॉ० अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचित, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-04/2018/101/सत्तर-1-2018-16(9)/2018 दिनांक 01 फरवरी, 2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उपर्युक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

- (1) राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त एवं संघटक महाविद्यालयों में स्व-केन्द्र के स्थान पर यथासंभव निकटतम महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय किन्तु छात्राओं के लिये स्व-केन्द्र प्रणाली लागू रहेगी।
- (2) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले जिन महाविद्यालयों की छात्राओं को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जायेगी वहां वाह्य अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष के साथ कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ वाह्य महाविद्यालयों से नियुक्त किया जाय।
- (3) विगत तीन वर्षों में सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की स्थिति पाये जाने पर परीक्षा निरस्त करने की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो और उन महाविद्यालयों को परीक्षा समिति/शासन द्वारा डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया हो उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
- (4) महाविद्यालयों की आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं में महाविद्यालय की स्थिति, उसकी धारण क्षमता, फर्नीचर, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था तथा सड़क मार्ग से महाविद्यालयों के मध्य दूरी इत्यादि को दृष्टिगत रखा

जाय तथा उक्त सुविधाओं के अभाव में महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

- (5) जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 लगा होना अनिवार्य होगा।
- (6) परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्या एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहां कक्ष/हाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी0सी0टी0वी0 कैमरे में वायस रिकार्डर लगा होना अनिवार्य है।
- (7) परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध पक्के/लिंटेड शिक्षण कक्षों (प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, क्रीड़ा कक्ष को छोड़ कर) में उपलब्ध फर्नीचर के अनुसार एक पाली की परीक्षा में नियमानुसार व्यवस्थित रूप से बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अर्थात् महाविद्यालय की धारण क्षमता (शिक्षण कक्षों पर परीक्षा देने हेतु एक परीक्षार्थी के लिये 20 वर्गफुट (1.86 वर्गमी0) का क्षेत्रफल निर्धारित है, के सापेक्ष ही परीक्षार्थी आवंटित किये जाने की व्यवस्था का दृढ़ता से पालन किया जाय।
- (8) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता अक्षुण्ण रखे जाने हेतु तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित एवं समुचित रख-रखाव के लिये कम से कम दो लोहे की अलमारियां सहित स्ट्रांग रूम की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- (9) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- (10) परीक्षा केन्द्र चयनित करते समय महाविद्यालय में उपलब्ध शिक्षण कक्षों की संख्या के सापेक्ष उनकी धारण क्षमता, फर्नीचर आदि को दृष्टिगत रखते हुये सर्वप्रथम राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाये, तत्पश्चात् स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जायेगा।
- (11) जिन महाविद्यालयों के परिसर में प्रबन्धक/प्राचार्य के आवास निर्मित हैं, उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
- (12) जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पत्रों के प्रकटन/प्रश्नपत्रों की चोरी/गोपनीयता भंग की गयी हो और परीक्षा समिति द्वारा उन्हें इस कारण से डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को न्यूनतम 03 वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

- (13) जिन महाविद्यालयों के डाटा ए0आई0एस0एच0ई0 के पोर्टल पर अपलोड न हों, उन्हें यथासंभव परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय तथा परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाय।
- (14) गत वर्ष की परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय सचल दल एवं उच्च शिक्षा विभाग/जिला प्रशासन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, परीक्षा केन्द्रों पर हिंसात्मक या आगजनी की घटनाएं हुई हों और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराई गयी हो, जिसके कारण उन्हें डिबार किया गया हो, ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
- (15) जिन महाविद्यालयों के प्रबन्ध समिति में विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।
- (16) परीक्षा केन्द्र पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।
- (17) किसी परीक्षा केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक को हटाकर वहां राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठतम असिस्टेंट प्रोफेसर को सह केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त कर अग्रिम परीक्षाएं सम्पादित करायी जायें।
- (18) परीक्षाओं में भी पूर्व की भांति प्रत्येक परीक्षा कक्ष में (परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुये) दो कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था लागू रहेगी। राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जो शिक्षक इयूटी/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन विषयक आदेशों की अवहेलना करेंगे या सौंपे गये कार्यों को नहीं करेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा तथा तदनुसार उनका वेतन काट लिया जाय।
- (19) परीक्षा कक्ष के द्वार पर ए-4 साइज के पेपर पर परीक्षा कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा-नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्येक पाली में चस्पा किया जाय।
- (20) परीक्षा अवधि में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से इतर वाह्य व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश वर्जित होगा।
- (21) परीक्षाओं में भविष्य में औचक निरीक्षण हेतु गठित सचल दल में महिला निरीक्षणकर्ता की अनिवार्य व्यवस्था की जाय तथा जिन परीक्षा केन्द्रों पर महिला परीक्षार्थी आवंटित की गयी हैं वहां पर महिला कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरुष सदस्य द्वारा महिला परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ली जायेगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला निरीक्षणकर्ता द्वारा ही की जायेगी। परीक्षा कक्ष में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक ही प्रवेश कर सकेंगे अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा।

- (22) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय में अग्निशमन के निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित प्रबंध अनिवार्य होगा। अग्निशमन के संसाधनों यथा फायर एक्सटिंग्विशर, पानी की बाल्टियाँ एवं रेत आदि की व्यवस्था वांछनीय होगी। सभी अग्निशमन यंत्र नवीनीकृत होने चाहिए।
- (23) परीक्षा केन्द्र बनने वाले महाविद्यालयों में विद्युत की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके दृष्टिगत जेनरेटर का भी वैकल्पिक प्रबंध होना अनिवार्य होगा।
- (24) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय होना अति आवश्यक होगा एवं छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना अति आवश्यक होगा।
- (25) परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले महाविद्यालय मुख्य/सम्पर्क सर्वश्रेष्ठ मार्ग से जुड़ा हो, ताकि वहाँ आसानी से पहुँचा जा सके और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की आकस्मिक जांच एवं नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता पूर्वक हो सके।
- (26) राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की पूर्ण धारण क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाय।
- (27) एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।
- (28) यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र पर तम्बू कनात लगाकर या खुले में परीक्षाएं आयोजित न करायी जाय।
- (29) एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर किसी भी दशा में आवंटित न किया जाय इसके साथ ही विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित किये जाने का भी निषेध किया जाता है। इस प्रकार ऐसे केन्द्रों का आवंटन कदापि न किया जाय। इसी के साथ ही प्रबन्धतंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्धतंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की इयूटी नहीं लगायी जाय।
- (30) विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित एक से अधिक महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का परीक्षा केन्द्र उसी प्रबन्धक के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों पर नहीं आवंटित किया गया है, विभिन्न प्रबन्धकों द्वारा संचालित महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पारस्परिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है तथा एक ही प्रबन्धतंत्र के अधीन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उसी प्रबन्धतंत्र में संचालित महाविद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक की इयूटी नहीं लगायी गयी है।
- (31) परीक्षा केन्द्र यथासम्भव 08 कि०मी० की परिधि के महाविद्यालयों में निर्धारित किया जाय।

- (32) वर्ष 2019 की परीक्षाओं हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तो उन्हें अपने ही महाविद्यालय में केन्द्र आवंटित किया जाय। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को जहां स्वकेन्द्र/स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके, वहां उन्हें अधिकतम 05 कि०मी० की परिधि के केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय। यह सुविधा उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत छात्राओं को भी उपलब्ध कराई जाय जो सहशिक्षा के महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। एक महाविद्यालय की छात्राओं को अलग-अलग परीक्षा केन्द्रों पर आवंटित नहीं किया जाय।
- (33) दिव्यांग छात्र/छात्राओं को, यदि उनका महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, तो स्वकेन्द्र की सुविधा दी जाय। अन्यथा स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों के दिव्यांग छात्र/छात्राओं को यथास्थिति स्थानीय/निकटस्थ परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने हेतु समायोजित किया जाएगा।
- (34) जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय उनमें महाविद्यालय के प्राचार्य यदि डिबार नहीं किए गए हैं तो केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जायेंगे। ऐसे महाविद्यालय जहाँ के प्राचार्य डिबार हैं वहां बाह्य केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।
- (35) परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक प्रबन्ध समिति अथवा अन्य व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से सम्बन्धित नहीं है, उन्हें प्रवेश न दिया जाय।
- (36) प्रश्नपत्र यथासम्भव शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से सी०सी०टी०वी० कैमरे की निगरानी में वितरित/प्राप्त किये जायें।
- (37) परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु आवेदन केवल आनलाइन किया जायेगा, निश्चित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन के समय नियमावली में बांछित सभी सूचनाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा पूर्ण विवरण के साथ देनी होगी।
- (38) समय-समय पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के आवंटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता का परीक्षण करेंगे। विसंगति/आपत्ति प्राप्त होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा केन्द्र को निरस्त करना होगा।
- (39) यथा सम्भव उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षा समाप्ति के 02 घण्टे के भीतर सी०सी०टी०वी० कैमरे की निगरानी में सम्बन्धित जिले के शासकीय महाविद्यालय के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर जमा की जायेगी।
- (40) जिला/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वय स्थापित करके प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जायेगा।
- (41) परीक्षा केन्द्र के भीतर पुस्तक, गाइड, कम्प्यूटर, मोबाइल व कैलकुलेटर अनुमन्य नहीं होंगे, इसकी सूचना पहले से ही विद्यार्थियों को देनी होगी।
- (42) समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने एवं उसका विश्लेषण कर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं आवश्यकतानुसार शासन को संदर्भित करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद नोडल अधिकारी होंगे। परीक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट को संकलित करने हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। उक्त प्रारूप पर सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की ई मेल पर दैनिक रूप से रात्रि 9.00 बजे तक प्रेषित की जाय।

- (43) निदेशक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित छात्र छात्राओं, महाविद्यालय के प्रबन्धन, शिक्षक/शिक्षणोत्तर कार्मिकों/अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में संकलित सूचना शासन को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० अनिता भटनागर जैन)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2012/036 (1)/सत्तर-1-2018-तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा अनुपालन आख्या शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
- 7- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)

विशेष सचिव।